न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 72/2013 (2013/00018)

उनवान

श्री हजारी पुत्र श्री जवारा जाति कहार निवासी नदी सराधना, अजमेर

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री बालू पुत्र स्व0 श्री लख्खा जाति कहार निवासी नदी सराधना तहसील अजमेर
2. श्रीमती जीवणी पत्नि केसरमल पुत्री स्व0 श्री लख्खा जाति कहार निवासी बालाजी की गली मदार गेट अजमेर तहसील व जिला अजमेर
3. श्रीमती नानी पत्नि श्री देबी पुत्री स्व0 श्री लख्खा जाति कहार निवासी नदी सराधना तहसील व जिला अजमेर मृतक जरिये वारिसान
   - 3/1 शंकर पुत्र देबी जाति कहार
   - 3/2 लाडादेवी पुत्री देबी जाति कहार
   - 3/3 सीतादेवी पुत्री देबी जाति कहार
   - 3/4 पांची पुत्री देबी जाति कहार समस्त निवासी नदी सराधना उपतहसील सराधना तहसील व जिला अजमेर।
4. नायब तहसीलदार द्वितीय अजमेर तहसील अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। ..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) एवं 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन	अभिभाषक प्रार्थीगण
2. —	अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक —01.07.2025**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार द्वितीय के द्वारा पारित विवादित आदेश प्रकरण संख्या 39/64 आदेश दिनांक 16.8.65 जो कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 516 मिन रकबा 3—5—0 ग्राम सराधना तहसील अजमेर स्थित भूमि के सबंध में पारित विवादित आदेश न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल तथा अधिनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार द्वितीय अजमेर को विवादित नियमन आदेश पारित किये जाने का कोई अधिकार ही नहीं था। विवादित भूमि खसरा नम्बर 516 मिन रकबा 3—5—0 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 702 की भूमि के सबंध में अधिनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार द्वितीय अजमेर के द्वारा विवादित आदेश जो पारित किया गया उनके क्षेत्राधिकार के परे है, नियमन किये जाने का कोई अधिकार नहीं था तथा कृषि भूमि आवंटन/नियम 1957 के नियम 14 के अनुसार अधिनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार द्वितीय अजमेर को विवादित

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

भूमि के नियमन के संबध में कोई अधिकार ही नही था इन कारण विवादित आदेश विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत् सुनवाई का नोटिस दिया गया। आदेशिका दिनांक 26.6.2014 में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। अप्रार्थी संख्या 3 के वारिसान को रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस जारी किये गये जो बावजूद सूचना गैर हाजिर। अप्रार्थी संख्या 4, 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार द्वितीय के द्वारा पारित विवादित आदेश प्रकरण संख्या 39/64 आदेश दिनांक 16.8.65 जो कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 516 मिन रकबा 3–5–0 ग्राम सराधना तहसील अजमेर स्थित भूमि के सबंध में पारित विवादित आदेश न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल तथा अधिनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार द्वितीय अजमेर को विवादित नियमन आदेश पारित किये जाने का कोई अधिकार ही नहीं था। विवादित भूमि खसरा नम्बर 516 मिन रकबा 3–5–0 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 702 की भूमि के सबंध में अधिनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार द्वितीय अजमेर के द्वारा विवादित आदेश जो पारित किया गया उनके क्षेत्राधिकार के परे है, नियमन किये जाने का कोई अधिकार नहीं था तथा कृषि भूमि आवंटन/नियम 1957 के नियम 14 के अनुसार अधिनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार द्वितीय अजमेर को विवादित भूमि के नियमन के संबध में कोई अधिकार ही नही था इन कारण विवादित आदेश विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। खसरा नम्बर 516 मिन का वर्तमान खसरा नम्बर 702 रकबा 3–5–0 किस्म बारानी तीन जो ग्राम नदी सराधना पटवार हल्का सराधना तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जो कि भू–संशोधन की जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर हाल 702 रकबा 3–0–0 की प्रार्थी के नाम भू–संशोधन की जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज दर्ज है कि जिसका खसरा परिवर्तनशीन सम्वत् 2050 के कॉलम नम्बर 16 में इन्द्राज दर्ज है तथा खसरा परिवर्तनशीन सम्वत 2042 सन् 1985 के अनुसार भी प्रार्थी के नाम काश्त का इन्द्राज दर्ज है इसी खसरा परिवर्तनशीन के कॉलम नम्बर 15 में प्रार्थी का सन् 1970 से निरन्तर कब्जा काश्त दर्शाया है तथा खसरा परिवर्तशीन सम्वत 2046 सन् 1989–90 में भी विवादित भूमि पर प्रार्थी की काश्त दर्ज है तथा सम्वत् 2047 सन् 1990 की खसरा परिवर्तनशील में भी प्रार्थी की काश्त दर्ज है तथा खसरा परिवर्तनशीन सम्वत् 2048 तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2050 से 2053 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2054 से 2057 में भी प्रार्थी के द्वारा काश्त की गई की फसल का इन्द्राज दर्ज है तथा ग्राम पंचायत सराधना जरिये सरपंच के द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 29.1.96 को प्रार्थी को दिया गया कि इस प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का कब्जा विवादित भूमि पर 25–30 वर्षो से काबिज काश्त करता आया है दर्शाया गया है तथा प्रार्थी के द्वारा विवादित भूमि प्रार्थी के पक्ष में नियम हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 25.7.2000 को उपखण्ड अधिकारी अजमेर को प्रस्तुत किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकार के द्वारा जॉच कर प्रार्थी को पत्र उ0ख0अ0/राजस्व/2000/7814 दिनांक 5.12.2000 को भिजवाया गया कि इस पत्र में प्रर्थी का मौके पर कब्जा होना बताया गया है तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार नायब तहसीलदार अजमेर द्वितीय के द्वारा प्रार्थी को नोटिस प्रकरण संख्या 599/95 दिनांक 24.11.95 को जारी किया गया जिसमें विवादित भूमि, खसरा नम्बर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

702 रकबा 3–0–0 की भूमि पर प्रार्थी के द्वारा बाजरा की काश्त की गई दर्शाया गया इस प्रकार विवादित भूमि कि जिस पर प्रार्थी का उक्त अनुसार सन् 1970 से पूर्व से आज दिवस तक चला आया है एवं प्रार्थी सन् 1970 से पूर्व से निरन्तर मौके पर भारी सुधार एवं विकास कर काश्त करता आया है तथा आज भी मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा व काश्त है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर के समक्ष रेग्यूलर राजस्व वाद संख्या 63/09 बालू व अन्य बनाम हजारी व अन्य जो कि अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राज0 काश्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 22.11.2012 को ही राजस्व वाद निरस्त कर दिया गया तथा साथ ही विवादित भूमि के सन्दर्भ में एक अन्य प्रकरण संख्या 72/2009 अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत भी अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर आदेश दिनांक 7.7.2011 के अनुसार विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन का कोई हक अधिकार कब्जा नहीं मानते हुए निरस्त किया गया इस प्रकार विवादित भूमि से श्री लख्खा पुत्र काना जाति कहार का ही एवं साथ ही उनके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन का कभी कब्जा नही था न रहा एवं आज भी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर पुराना 516 मिन रकबा 3–5–0 के वर्किंग खसरा नम्बर 702 ग्राम नदी सराधना तहसील अजमेर भूमि के सबंध में विवादित आदेश दिनांक 16.8.1965 को निरस्त किये जावे।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने मुख्यतः कथन किया कि आवंटित भूमि पर आवंटी अप्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा साथ ही आवंटन का कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं। अतः भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से एवं तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15.03.2024 के साथ संलग्न नायब तहसीलदार सराधना, पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण/उनके पूर्वजों को किया गया आवंटन/नियमन तहसील स्तर पर सम्भव नहीं होना, साथ ही रिकॉर्ड जीर्णशीर्ण होने एवं उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर के समक्ष नियमित वाद संख्या 63/2009 बालू व अन्य बनाम हजारी व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 22.11.2012 को राजस्व वाद निरस्त कर दिया गया तथा एक अन्य प्रकरण संख्या 72/2009 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आदेश दिनांक 7.7.2011 अनुसार न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर द्वारा खारिज किया गया। वादग्रस्त भूमि किस आदेश से अप्रार्थीगण को आवंटन/नियमन हुई के संबंध में आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में वादग्रस्त आराजियात पर कब्जे के सबंध में उपस्थित होकर कोई

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है, अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर रहे। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियमन 20 (2) नियम 1970 का उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम सराधना तहसील अजमेर जिला अजमेर के खसरा नम्बर 516 मिन रकबा 3–05–00, भूमि का अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन/नियमन दिनांक 16.08.1965 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार अजमेर को आदेश दिए जाते है कि हाल राजस्व रेकॉर्ड में भूमि सिवायचक जरिये नामान्तरकरण दर्ज करें। साथ ही भूमि का कब्जा प्राप्त करे। आदेश की प्रति तहसीलदार अजमेर को पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर